भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

संख्या - 7/7/2014-हिंशियो(मु0)/

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी भाषा प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के '05 दिवसीय : कक्षा में पढ़ाई (Validation Course) के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

यह कार्यालय ज्ञापन राजभाषा विभाग के दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 के पत्र संख्या: 14034/27/2014-रा.भा.(प्रशि.) द्वारा दिए गए निदेशानुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा वर्तमान में संचालित हिंदी भाषा : प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के दीर्घकालिक, अल्पकालिक (गहन) और पत्राचार माध्यम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी भाषा प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के 05 दिवसीय : कक्षा में पढ़ाई (Validation Curse) के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन संबंधी दिनांक 02.12.2014 के जारी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जा रहा है ।

इन कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप

1. ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/उपक्रमों आदि की मांग एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधनों-इन्टरनेट सुविधा युक्त कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि की उपलब्धता के अनुसार 'इनहाउस' और 'आउटरीच' दोनों माध्यमों से संचालित किए जाएंगे । इनके प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 10 प्रशिक्षार्थियों की प्रविष्टि अनिवार्य होगी ।
2. इन अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि तीन दिन का सैद्धांतिक सत्र एवं दो दिन का शंका समाधान सत्र-कुल 05 पूर्ण कार्य दिवस होगी ।
3. देश के जिन शहरों में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और जहॉ उपयोगकर्ता कार्यालय अपने कार्मिकों को इन केंद्रों पर भेज सकते हैं । वहॉ ये 'इनहाउस' संचालित किए जाएंगे। जहॉ मांगकर्ता कार्यालय इन कार्यक्रमों को अपने कार्यालय परिसर में चलाने के इच्छुक हों तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक संसाधन (इंटरनेट सुविधायुक्त कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि) उपलब्ध कराएं, वहॉ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापकों द्वारा 'आउटरीच' माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा ।
4. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही प्रशिक्षित माना जाएगा ।
5. इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रविष्ट प्रशिक्षार्थियों की संख्या को संबंधित सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक के लक्ष्यों की प्राप्ति के आंकड़ों में सम्मिलित किया जाएगा, किंतु इन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प नहीं माना जाएगा ।
6. ये कार्यक्रम 'ऑनलाइन लीला पैकेज' एवं 'पाठ्य-पुस्तक' पर आधारित होंगे । ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध न होने की स्थिति में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन पाठ्य पुस्तक आधारित होगा। प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी ।

....2/-

सातवां तल, पर्यावरण भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 टेलीफैक्स/Telefax-011-24366794, 24365089
ईमेल/email : dirchti-dol@nic.in / वेबसाइट/Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

7. ये कार्यक्रम व्यावहारिक अभ्यास अभिमुखी होंगे तथा इनके पाठ्यक्रम वही होंगे, जो वर्तमान में हिंदी शिक्षण योजना/संस्थान/उपसंस्थान की कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे हैं । इसके तीन स्तर होंगे, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम प्रबोध :

प्रथम स्तर - 03 दिवसीय : कक्षा में पढ़ाई (Validation Course) का सैद्धांतिक सत्र

दिवस	पूर्वाह्न समय 09:30 से 1:30 बजे	अपराह्न समय 02.00 से 06.00 बजे तक
प्रथम दिवस	परिचय- पाठ्यक्रम का स्तर, अवधि, परीक्षा फार्म भरवाना । वर्णमाला ज्ञान, वर्णक्रम, मात्राएँ, उच्चारण अभ्यास संबंधी अन्य निदेश ।	अर्जित देवनागरी लिपि से क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच वर्णों के मेल से शब्द रचना करना एवं वाक्य संरचना विधि का ज्ञान कराना ।
द्वितीय दिवस	अनुस्वार, अनुनासिकता, विसर्ग, नुक्ता एवं संयुक्त व्यंजन आदि के प्रयोग विधि संबंधी दिशा निदेश देना।-	वचन, लिंग, काल एवं सहायक क्रिया आदि का ज्ञान कराना।
तृतीय दिवस	"पाठ्य सामग्री को स्व-शिक्षण" कैसे करें ? के क्रम में वार्तालाप आधारित एक-दो प्रयुक्त नए शब्दों, पर्यायवाची, विलोम, वचन, लिंग आदि पाठ्य बिंदुओं / व्याकरणिक बिंदुओं को प्रत्यक्ष विधि द्वारा समझाना ।	पाठ्य-पुस्तक आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को स्व-शिक्षण संबंधी निदेश देना, साथही ऑनलाइन स्व-शिक्षण हेतु राजभाषा विभाग/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध 'स्व-शिक्षण' के लीला पैकेजों का परिचय देते हुए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का 'यूजर आई-डी' बनवाकर उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देश देना ।

द्वितीय स्तर : अर्जित भाषा कौशल विकास का व्यावहारिक अभ्यास सत्र

इस स्तर पर प्रशिक्षार्थी अब तक अर्जित भाषा कौशल के उत्तरोत्तर विकास के लिए भाषा शिक्षण के चारों सोपानों (श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन) का अपने पारिवारिक और कार्यालयीन परिवेश में वार्तालाप के द्वारा व्यावहारिक अभ्यास करेंगे ।

इस दौरान प्रशिक्षार्थी 'स्व-शिक्षण' में आने वाली कठिनाईयों के समाधान अपने प्रशिक्षक से ई-मेल/दूरभाष द्वारा प्राप्त कर सकेंगे ।

तृतीय स्तर - 02 दिवसीय : कठिनाई/शंका समाधान (Validation Remedial) सत्र

इस सत्र में व्यक्तिगत स्तर पर प्रशिक्षार्थियों की उन समस्याओं का समाधान करना, जिनका समाधान ऑनलाइन/दूरभाष द्वारा नहीं किया जा सका ।

प्रशिक्षार्थियों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट, परंपरागत परीक्षा के नमूना प्रश्न पत्र हल कराना, उत्तीर्णांक की जानकारी के साथ-साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार एवं प्रोत्साहन आदि की जानकारी देना ।

....3/-

पाठ्यक्रम प्रवीण :

प्रथम स्तर - 03 दिवसीय - कक्षा में पढ़ाई (Validation Course) का सैद्धांतिक सत्र

दिवस	पूर्वाह्न समय 09:30 से 1:30 बजे	अपराह्न समय 02.00 से 06.00 बजे तक
प्रथम दिवस	परिचय-पाठ्यक्रम का स्तर, अवधि, परीक्षा फार्म भरवाना । देवनागरी लिपि, वर्तनी, उच्चारण का पुनरीक्षण।	क्रिया के विभिन्न रूप, कारक, विभक्ति आधारित पाठ्य-चर्चा।
द्वितीय दिवस	विशिष्ट पाठ्य बिंदुओं पर चर्चा एवं अभ्यास- वाच्य, प्रेरणार्थक क्रिया, संदेहार्थ और संभावना वाचक आदि।	लेखन कौशल विकास - पाठाधारित सार लेखन, निबंध (रचना) आदि । सामाजिक-व्यवहार के साथ-साथ सरकारी काम-काज की भाषा का परिचय कराना ।
तृतीय दिवस	"पाठ्य सामग्री का स्व-शिक्षण" कैसे करें ? के क्रम में एक-दो आदर्श पाठों को प्रस्तुतीकरण । पाठोंमें प्रयुक्त नए शब्दों, पर्यायवाची, विलोम, वचन, लिंग आदि पाठ्य/व्याकरणिक बिंदुओं को प्रत्यक्ष विधि द्वारा समझना ।	पाठ्य-पुस्तक आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को स्व-शिक्षण संबंधी निदेश देना, साथ ही ऑन-लाइन स्व-शिक्षण हेतु राजभाषा विभाग/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध 'स्व- शिक्षण' के लीली पैकेजों का परिचय देते हुए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का 'यूजर आई-डी' बनवाकर उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देश देना ।

द्वितीय स्तर : अर्जित भाषा कौशल विकास का व्यावहारिक अभ्यास सत्र

इस स्तर पर प्रशिक्षार्थी अब तक अर्जित भाषा दक्षता के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्यालयीन परिवेश में वार्तालाप व अपना कार्यालयीन कामकाज हिंदी में कर, व्यावहरिक अभ्यास करेंगे।

इस दौरान प्रशिक्षार्थी 'स्व-शिक्षण' में आने वाली कठिनाईयों के समाधान अपने प्रशिक्षक से ई-मेल/दूरभाष द्वारा प्राप्त कर सकेंगे ।

तृतीय सतर - 02 दिवसीय : कठिनाई/शंका का समाधान (Validation Remedial) सत्र

इस सत्र में प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तिगत स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करना, जिनका समाधान ऑनलाइन/दूरभाष से नहीं किया जा सका ।

प्रशिक्षार्थियों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट, परंपरागत परीक्षा के नमूना प्रश्न पत्र हल कराना, उत्तीर्णांक की जानकारी के साथ-साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार एवं प्रोत्साहन आदि की जानकारी देना।

पाठ्यक्रम प्राज्ञ :

प्रथम स्तर : 03 दिवसीय : कक्षा में पढ़ाई (Validation Course) का सैद्धांतिक सत्र

दिवस	पूर्वाह्न समय 09:30 से 1:30 बजे	अपराह्न समय 02.00 से 06.00 बजे तक
प्रथम दिवस	परिचय-पाठ्यक्रम, स्तर, अवधि, परीक्षा फार्म भरवाना । कार्यालयीन भाषा की जानकारी देना।	कार्यालयीन परिवेश पर आधारित पाठ एवं उनके अभ्यास द्वारा कार्यालयीन/प्रशासनिक हिंदी की वाक्य संरचनाओं का ज्ञान कराना ।

...4/-

द्वितीय दिवस	पत्राचार एवं मसौदा लेखन के विभिन्न प्रारूपों का परिचय देना। विभिन्न प्रारूपों के उद्देश्य, प्रयोजन और कलेवर आदि की जानकारी कराना।	टिप्पणी लेखन - आकारसंरचना की दृष्टि से / टिप्पणी लेखन के प्रकार, उनके मार्गदर्शक सिद्धांत, नेमी टिप्पणियों के नमूने आदि का ज्ञान कराना।
तृतीय दिवस	"पाठ्य सामग्री का स्व-शिक्षण" कैसे करें ? के क्रम में पत्राचार के एक-दो आदर्श प्रारूपों का प्रस्तुतीकरण । पाठ में प्रयुक्त कार्यालयीन वाक्य सांचों, अभिव्यक्तियों को प्रत्यक्ष विधि द्वारा समझना ।	पाठ्य-पुस्तक आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को स्व-शिक्षण संबंध निदेश देना, साथ ही ऑनलाइन स्व-शिक्षण हेतु राजभाषा /केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध 'स्व-शिक्षण' के लीला पैकेजों का परिचय देते हुए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का 'यूजर आई-डी' बनवाकर उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देश देना ।

द्वितीय स्तर :

कार्यालयीन हिंदी का व्यावहारिक अभ्यास सत्र

इस स्तर पर प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी के अर्जित ज्ञान का व्यावहारिक अभ्यास अपने कार्यालय के दौरान दैनंदिन कार्यालयीन काम-काज में मसौदा/टिप्पण आलेखन कर सकेंगे ।
तृतीय स्तर - 02 दिवसीय : कठिनाई / शंका समाधान (Validation Remedial) सत्र इस सत्र में व्यक्तिगत स्तर पर प्रशिक्षार्थियों की उन समस्याओं का समाधान करना, जिनका समाधान ऑनलाइन/दूरभाष पर नहीं किया जा सका । प्रशिक्षार्थियों को ऑन-लाइन मॉक टेस्ट, परंपरागत परीक्षा के नमूना प्रश्न पत्र हल कराना, उत्तीर्णांक की जानकारी के साथ-साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार एवं प्रोत्साहन आदि की जानकारी देना ।

पात्रता :

1. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वे कार्मिक ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे, जो हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ कक्षाओं में प्रवेश लेने के पात्र हैं ।

2. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षार्थी पात्रतानुसार प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि के हकदार होंगे ।

परीक्षा :

1. प्रशिक्षार्थी इस प्रशिक्षण में प्रवेश के दौरान आगामी परीक्षाओं (मई अथवा नवम्बर, जो भी पहले हो) के लिए अपना परीक्षा फार्म भरेंगे । परीक्षा स्कंध द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों को 'प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के '05 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण(Validation Course) कार्यक्रम' के परीक्षार्थी के रूप में अलग से चिह्नित किया जाएगा।

2. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परीक्षार्थियों को 'ऑन-लाइन' अथवा 'परंपरागत परीक्षा' में से किसी एक माध्यम का चयन करना होगा। परीक्षा के प्रश्न-पत्र वही रहेंगे जो वर्तमान में दीर्घकालिक/ गहन परीक्षा के हैं। इसका तृतीय प्रश्न-पत्र आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) का होगा।

...5/-

3. परीक्षा शुल्क संबंधी मौजूदा नियम इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थियों पर यथावत लागू होंगे।

इन कार्यक्रमों का संचालन कराने की ज़िम्मेदारी क्षेत्रीय उप निदेशकों की होगी । अत: सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी सर्वकार्यभारी अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दें। सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों एवं सर्वकार्यभारी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने नगरों में अवस्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों एवं इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सांविधिक निकायों आदि को इस संबंध में परिपत्र समय-समय पर जारी किए जाएं। परिपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 को भेजी जाए।

इन कार्यक्रमों के संचालन संबंधी रिपोर्ट संबंधित सहायक निदेशकों/हिंदी प्राध्यापकों द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को भेजी जाए ।

(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक

संख्या: 7/74/2014-हिंशियो(मु0)/ 376

दिनांक: 6 FEB 2015

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.भवन, नई दिल्ली
2. संयुक्त निदेशक,कें.हिं.प्र.सं., राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
3. प्रशासनिक अधिकारी, कें.हिं.प्र.सं.,, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक (मध्योत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर, परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता और गुवाहाटी ।
5. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066
6. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थान, बैंगलूर एवं हैदराबाद ।
7. सहायक निदेशक(मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक(भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, कें.हिं.प्र.सं., नई दिल्ली ।
9. सहायक निदेशक(टं./आ.),अ. एवं वि. ए.,कें.हिं.प्र.सं.,नई दिल्ली को इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कराने संबंधी निदेश के साथ प्रेषित ।

9-2-15